**<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>**

**फा. सं. 6/36/2025- डीजीटीआर**

**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य विभाग**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001**

**दिनांक** : 29 **सितम्बर,** 2025

**जांच शुरुआत अधिसूचना**

**<u>(मामला सं. सीवीडी (ओआई) – 05/2025)</u>**

**विषय : मलेशिया और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'क्लियर फ्लोट ग्लास' के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की जांच की शुरुआत।**

1. फा.सं. 6/36/2025-डीजीटीआर: मेसर्स सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) द्वारा समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उनपर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सीवीडी नियमावली" या "नियमावली" भी कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया गया है, जिसमें मलेशिया और इंडोनेशिया (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लियर फ्लोट ग्लास" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

**क. सब्सिडीकरण का आरोप**

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रांतों और नगर पालिकाओं की सरकारें, जहाँ उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, और अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल

हैं। आवेदकों ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है।

**ख. परामर्श**

3. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, मलेशिया सरकार और इंडोनेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 09.09.2025 और 12.09.2025 को जॉंच शुरूआत से पहले परामर्श आयोजित किए गए। प्राप्त टिप्पणियों को रिकॉर्ड में ले लिया गया है और जाँच के दौरान उन पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा।

**ग. विचाराधीन उत्पाद**

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "4 मि0मी0 से 12 मि0मी0 (दोनों सम्मिलित) तक की नामिनल मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास" है, जिसकी नामिनल मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है)।

5. फ्लोट ग्लास में सामान्य ग्लास बनाने वाली कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें आमतौर पर रेत, सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट), डोलोमाइट, चूना पत्थर, साल्ट केक (सोडियम सल्फेट) आदि शामिल होते हैं। अन्य सामग्रियों का उपयोग रंग, शोधन एजेंट के रूप में या ग्लास के भौतिक और रासायनिक गुणों को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। कच्ची सामग्री को बैच मिक्सिंग प्रक्रिया में मिलाया जाता है, फिर उपयुक्त कलेट (अपशिष्ट काँच) के साथ नियंत्रित अनुपात में एक भट्टी में डाला जाता है जहाँ इसे लगभग 1500°C तक गर्म किया जाता है। कामन फ्लैट ग्लास की भट्टियाँ 9 मीटर चौड़ी और 45 मीटर लंबी होती हैं, और इनमें 1200 टन से अधिक काँच होता है। एक बार पिघलने के बाद, काँच का तापमान लगभग 1200°C पर स्थिर किया जाता है ताकि एकसमान विशिष्ट गुरुत्व सुनिश्चित हो सके।

6. इस उत्पाद का निर्माण, प्रशीतन, दर्पण और ऑटोमोबाइल उद्योग आदि में प्रमुख रुप से उपयोग होता है। यह उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला काँच है। इसकी अंतर्निहित मजबूती, उच्च प्रकाशीय स्पष्टता, विरूपण-रहित चिकनी सतह आदि के कारण, विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस उत्पाद के अनुप्रयोग बढ़ रहे हैं।

7. विचाराधीन उत्पाद को आईटीसी एचएस कोड: 70051090 के अंतर्गत अध्याय शीर्ष 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तथापि इन्हें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 के अंतर्गत वर्गीकृत और आयात किया जा रहा है।

**घ. <u>समान वस्तु</u>**

8. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएँ हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित "क्लियर फ्लोट ग्लास" अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएँ, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विनिमेय करने योग्य हैं, और अत:, नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अत:, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तुए माना जा रहा है।

**ङ. <u>शामिल देश</u>**

9. यह आवेदन मलेशिया और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद पर कथित सब्सिडी के संबंध में दायर किया गया है। अतः, वर्तमान जाँच के लिए संबद्ध देश मलेशिया और इंडोनेशिया हैं।

**च. <u>सब्सिडी कार्यक्रम</u>**

10. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों की सरकारों ने विभिन्न प्रतिकारी सब्सिडी कार्यक्रम चलाए हैं। आवेदक कंपनियों ने प्रस्तुत किया है कि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों को अनुदान, ऋण, गारंटी, कर, निर्यात ऋण, वस्तुओं और सेवाओं, तथा इक्विटी निवेश आदि के रूप में सब्सिडी प्राप्त हुई होगी - जो लाभकारी होगी। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रथम

दृष्टया दर्शाती है कि नीचे उल्लिखित कार्यक्रम सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौते और प्रतिकारी शुल्क नियम, 1995 के अनुसार कार्रवाई योग्य सब्सिडी हैं, और ऐसी सब्सिडी संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा प्रदान की गई थीं और संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों और उत्पादकों को इन सब्सिडी से लाभ हुआ होगा।

आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा निम्नलिखित सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उठाया जाता है।

**I. मलेशिया के विरुद्ध आवेदक द्वारा अभिज्ञात स्कीमों की सूची**

कार्यक्रम संख्या 1: बाज़ार विकास अनुदान
कार्यक्रम संख्या 2: विज्ञान निधि
कार्यक्रम संख्या 3: टेक्नो निधि
कार्यक्रम संख्या 4: इनो निधि
कार्यक्रम संख्या 5: क्रैडल निवेश कार्यक्रम
कार्यक्रम संख्या 6: अनुसंधान एवं विकास निधि का वाणिज्यीकरण
कार्यक्रम संख्या 7: निर्यात उत्कृष्टता कार्यक्रम
कार्यक्रम संख्या 8: निर्यात ऋण पुन: निधियन
कार्यक्रम संख्या 9: क्रेता ऋण गारंटी
कार्यक्रम संख्या 10: अग्रणी का दर्जा
कार्यक्रम संख्या 11: निवेश कर भत्ता
कार्यक्रम संख्या 12: त्वरित पूंजी भत्ता
कार्यक्रम संख्या 13: समूह राहत
कार्यक्रम संख्या 14: टैरिफ संबंधी प्रोत्साहन
कार्यक्रम संख्या 15: औद्योगिक भवन भत्ता (आईबीए)
कार्यक्रम संख्या 16: संयंत्रों और मशीनरी के लिए भत्ता
कार्यक्रम संख्या 17: मलेशियाई ब्रांड के प्रचार हेतु दोहरी कटौती
कार्यक्रम संख्या 18: पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारे में विनिर्माण और विनिर्माण संबंधी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन
कार्यक्रम संख्या 19: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर वापसी
कार्यक्रम संख्या 20: बिक्री कर में छूट
कार्यक्रम संख्या 21: आउटसोर्सिंग के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट विनिर्माण गतिविधियाँ
कार्यक्रम संख्या 22: कलपुर्जों और उपभोज्य सामग्रियों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

कार्यक्रम संख्या 23: मशीनरी और उपकरणों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
कार्यक्रम संख्या 24: कच्चे सामग्री/घटकों पर आयात शुल्क से छूट
कार्यक्रम संख्या 25: निर्यात संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
कार्यक्रम संख्या 26: निर्यात कार्गो को बढ़ावा देने के लिए दोहरी कटौती
कार्यक्रम संख्या 27: लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन
कार्यक्रम संख्या 28: निर्यात में वृद्धि के लिए भत्ता
कार्यक्रम संख्या 29: मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए कर छूट
कार्यक्रम संख्या 30: आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के लिए कर प्रोत्साहन
कार्यक्रम संख्या 31: लघु एवं मध्यम उद्यमों को रियायती ऋण
कार्यक्रम संख्या 32: प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी

## II. आवेदक द्वारा इंडोनेशिया के लिए अभिज्ञात स्कीमों की सूची

कार्यक्रम संख्या 1: एलपीईआई (इंडोनेशिया एक्ज़िम बैंक) के माध्यम से निर्यात वित्तपोषण एवं निर्यात संवर्धन
कार्यक्रम संख्या 2: अनुसंधान एवं विकास के लिए अतिरिक्त कटौती (300% तक)
कार्यक्रम संख्या 3: उद्योग 4.0 / नवाचार अनुदान
कार्यक्रम संख्या 4: बीपीपीटी केमेनरिस्टेक अनुसंधान एवं विकास सहायता (अनुदान + कर)
कार्यक्रम संख्या 5: राष्ट्रीय नवाचार निधि के अंतर्गत स्टार्टअप और तकनीकी वित्तपोषण
कार्यक्रम संख्या 6: केमेनपेरिन (एमओआई) के माध्यम से वाणिज्यीकरण सहायता
कार्यक्रम संख्या 7: एमओटी द्वारा व्यापार संवर्धन अनुदान, निर्यात विकास प्रोत्साहन
कार्यक्रम संख्या 8: निर्यात कार्यशील पूंजी वित्तपोषण (एलपीईआई, राज्य बैंक)
कार्यक्रम संख्या 9: इंडोनेशिया एक्ज़िम बैंक क्रेता ऋण योजना
कार्यक्रम संख्या 10: कॉर्पोरेट आयकर अवकाश (5-20 वर्षों के लिए 100%)
कार्यक्रम संख्या 11: कर छूट: 6 वर्षों में कर योग्य आय में 30% की कमी जमा मूल्यह्रास
कार्यक्रम संख्या 12: अचल और अमूर्त संपत्तियों का त्वरित मूल्यह्रास
कार्यक्रम संख्या 13: कर हानि कैरी-फॉरवर्ड समय विस्तार (10 वर्ष तक)
कार्यक्रम संख्या 14: एसईजेड/केईके परिवेशों में सीमा शुल्क और टैरिफ प्रोत्साहन
कार्यक्रम संख्या 15: औद्योगिक भवन परिसंपत्तियों के लिए त्वरित मूल्यह्रास
कार्यक्रम संख्या 16: मशीनरी के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास या कर छूट
कार्यक्रम संख्या 17: निर्यात संवर्धन और ब्रांडिंग (एमओटी) के लिए दोहरी कटौती
कार्यक्रम संख्या 18: एसईजेड/केईके प्रोत्साहन (जैसे, बाटम, केंडल, बटांग) जिसमें कर और शुल्क छूट शामिल हैं

कार्यक्रम संख्या 19: निर्यातकों के लिए शुल्क वापसी/वापसी योजनाएँ
कार्यक्रम संख्या 20: निर्यात-संबंधी वस्तुओं और कच्ची सामग्री पर वैट छूट
कार्यक्रम संख्या 21: आबद्ध क्षेत्रों में अनुबंधित विनिर्माताओं के लिए शुल्क मुक्त योजना
कार्यक्रम संख्या 22: एमएफ विनियमों के अंतर्गत स्पेयर पार्ट्स के लिए आयात शुल्क छूट
कार्यक्रम संख्या 23: विनिर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क छूट
कार्यक्रम संख्या 24: काईट स्कीम: कच्चे सामग्री के आयात शुल्क में छूट
कार्यक्रम संख्या 25: निर्यात-संबंधी व्ययों पर दोहरी कटौती
कार्यक्रम संख्या 26: संभार-तंत्र/माल ढुलाई प्रोत्साहन कटौती
कार्यक्रम संख्या 27: लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए केयूआर सॉफ्ट लोन और अल्ट्रा-माइक्रो फाइनेंसिंग
कार्यक्रम संख्या 28: निर्यात निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन; निर्यात वृद्धि के लिए कर कटौती
कार्यक्रम संख्या 29: एसईजेड/एफटीजेड क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए 100% सीआईटी छूट
कार्यक्रम संख्या 30: पर्याप्त से कम मूल्य पर - गैस

11. यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त स्कीमें सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें संबद्ध देशों की सरकार या ऐसे संबद्ध देशों की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों, जिनमें सार्वजनिक निकाय भी शामिल हैं, से वित्तीय अंशदान शामिल है और ये स्कीमें प्राप्तकर्ता (ओं) को लाभ प्रदान करती हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि ये स्कीमें कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित हैं और इसलिए विशिष्ट एवं प्रतिसंतुलन योग्य हैं। कुछ मामलों में, ये स्कीमें आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं के उपयोग और/या निर्यात निष्पादन पर निर्भर हैं।

12. कथित सब्सिडी में निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण और निधियों या देनदारियों का संभावित प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल है; सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है उसे छोड़ दिया गया है या एकत्र नहीं किया गया है; पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान; निर्यात प्रदर्शन पर आकस्मिक संवितरण आदि।

13. उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य ऐसी सब्सिडी स्कीम के संबंध में जानकारी प्रदान करें जिसका उन्होंने लाभ उठाया हो। निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य ऐसी सब्सिडी की जाँच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो जाँच के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा विद्यमान और उपयोग की गई पाई जा सकती हैं।

## छ. घरेलू उद्योग

14. नियम 2 (ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:-

*"घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडी प्राप्त वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को "घरेलू उद्योग' का हिस्सा नहीं समझा जाएगा।"*

15. यह आवेदन मेसर्स सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, भारत में दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात मेसर्स असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड (एआईएस) और गुजरात गार्जियन, जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है। आवेदक भारत में कुल उत्पादन का 85% हिस्सा हैं और इसलिए, इसका एक प्रमुख हिस्सा बनाते हैं। आवेदकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि उन्होंने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।

16. अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह उल्लेखनीय है कि आवेदक घरेलू उत्पादक, सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित घरेलू उद्योग हैं और आवेदन सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

## ज. जाँच अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान आवेदन के लिए जाँच अवधि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 (12 महीने) की प्रस्तावित है। क्षति की जानकारी जाँच अवधि और पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2021-22, 2022-23, 2023-24 और पीओआई के लिए प्रदान की गई है।

## झ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

18. आवेदकों ने संबद्ध देशों से सब्सिडी वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र

और सापेक्ष दोनों ही रूपों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। पाटित आयातों के कारण मूल्यह्रास और न्यूनीकरण के कारण घरेलू उद्योग अपनी लागत पूरी तरह वसूल करने और उचित आय प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से वंचित रहा है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई ऋणात्मक हैं। घरेलू उद्योग के मालसूची स्तरों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य संबद्ध देशों से कथित सब्सिडी वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाते हैं।

## ञ. जाँच की शुरुआत

19. प्राधिकारी का मानना है कि विषयगत देश में विषयगत वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं और ऐसे सब्सिडीयुक्त आयातों से उनकी मात्रा और मूल्य प्रभावों के माध्यम से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

20. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुष्टि करते हैं, स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकरण एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 9बी के साथ पठित नियम 6 के अनुसार घरेलू उद्योग को कथित सब्सिडी और परिणामी क्षति की सब्सिडी-रोधी जांच आरंभ करते हैं, ताकि कथित सब्सिडी के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

## ट. सूचना प्रस्तुत करना

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ईमेल पतों ds-dgtr@gov.in और dir15-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति consultant-dgtr@govcontractor.in and ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग पीडीएफ/एम एस वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फाइलें एम एस एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच

शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रिया से अद्यतन और अवगत रहें।

## ठ. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से ds-dgtr@gov.in और dir15-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति consultant-dgtr@govcontractor.in और ad12-dgtr@gov.in पर उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन सीवीडी के नियम 7(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 7(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण को दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

## ड. गोपनीय आधार पर सूचना को प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को सीवीडी नियमावली के नियम 8 तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय पाठ भी साथ में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

30. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

31. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय अंश, गोपनीय अंश की प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा रिक्त छोड़ा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) और ऐसी सूचना को उचित रूप से और पर्याप्त रूप से सारांश रूप में दिया जाना चाहिए जो उस सूचना पर निर्भर रूप में हो, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है।

33. अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नियमावली, 1995 के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण के साथ कारणों का ऐसा विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

34. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 26 के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 07 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा उसके पर्याप्त और समुचित कारण विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

36. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य रुप में अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

37. प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने पर और उसे स्वीकार किए जाने के बाद, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ तथा अन्य जानकारी को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

## ढ. <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अथवा बाद में अलग से पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

**सिद्धार्थ महाजन**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**